अध्याय 6

विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

अध्याय 6
विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

6.1 प्रस्तावना

"विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण" पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। साक्ष्यों की गुणवत्ता एवं आपराधिक न्याय परिदान प्रक्रिया में सुधार हेतु भारत सरकार ने पूरे देश में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (विधि0वि0प्रयो0) को स्थापित करने हेतु 1958 में एक मॉडल रूपरेखा तैयार किया। तदनुसार, आपराधिक अन्वेषण के विभिन्न प्रकृति के नमूनो के विश्लेषण कार्य में सहायता प्रदान करने हेतु राज्य स्तर की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का गठन किया जाना था, जो साक्ष्यों के संग्रहण एवं मामलों के त्वरित निस्तारण में सहायक हो सके।

वर्तमान में चार विधि विज्ञान प्रयोगशालायें (लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं गाजियाबाद पर स्थापित) कार्यरत है। लखनऊ, आगरा एवं वाराणसी के विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में क्रमशः तेरह, नौ एवं पाँच अनुभाग स्थापित है, जैसा कि ***परिशिष्ट 6.1*** में वर्णित है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला गाजियाबाद में विष विज्ञान अनुभाग खोला गया है (जुलाई 2015) एवं इसका भवन मार्च 2017 तक निर्माणाधीन (37 प्रतिशत पूर्ण) था। पॉच[7] जनपदों में से चार[8] में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (क्षे0वि0वि0प्रयो0) अभी स्थापित की जानी थी। उपर्युक्त पांच क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्वीकृत थी। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद, का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है (जून 2016) एवं जुलाई 2016 से क्रियाशील है, जबकि शेष चार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य मार्च 2017 तक प्रगति पर था (छः से 44 प्रतिशत)। नयी क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें, उपर्युक्त चार क्रियाशील विधि0 वि0 प्रयोगशालाओं ***(परिशिष्ट 6.1*** में वर्णित) के कार्यभार को कम करने हेतु एवं राज्य में नमूनो के विश्लेषण की क्षमता को बढाने हेतु प्रस्तावित की गयी है। इसके अतिरिक्त जिला क्षेत्रीय इकाईयां सभी 75 जिलो में साक्ष्यों/नमूनो के आपराधिक घटनास्थल से संग्रह करने एवं प्राथमिक परीक्षण के उपरान्त संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को भेजने हेतु अवस्थापित की गयी है।

6.2 नियोजन

मोबाइल फारेंसिक वैन

निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु 2011–16 के लिए 18.11.2010 को एक भावी/परिप्रेक्ष्य योजना तैयार किया था। योजना 2011–16 के दौरान तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाना था। प्रथम चरण में सभी जिला क्षेत्रीय इकाइयों को "मोबाइल फोरेन्सिंक वैन" (चलित क्षेत्रीय इकाईयाँ) के साथ अपराध सुरक्षा प्रबंधन, विस्फोटक, डी0एन0ए0, जैव विज्ञान, कम्प्यूटर अपराध को रोकने हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना था एवं दूसरे

[7] इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी एवं मुरादाबाद।
[8] इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं झांसी।

चरण में यह सुविधा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के 500 वृत्तो में विस्तारित की जानी थी।

इसके अतिरिक्त 5 क्षेत्रीय विधि0 विज्ञान प्रयोगशालायें मुरादाबाद, झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद एवं गाजियाबाद में आधारभूत अनुभागों जैसे भौतिकी, रासायनिक एवं जैव विज्ञान के साथ खोली जानी थी। तृतीय चरण में अभियांत्रिकी, गणितीय, चिकित्सकीय एवं व्यवहारिक विज्ञान के अनुभाग पुराने विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में खोले जाने (पूर्व में ही स्थापित विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में) थे। आधुनिकीकरण योजना में, निधियां इन क्रियाकलापों हेतु आवंटित की जानी थी।

निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि भावी/परिप्रेक्ष्य योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया गया था जैसा कि नीचे वर्णित है:

- 75 जनपदों में से 33 जनपद स्तरीय क्षेत्रीय इकाइयॉ (44 प्रतिशत) अपराध के मामलों को जांचने हेतु आधुनिक सुविधाओं वाले मोबाइल फोरेन्सिक वैन से सुसज्जित थी। शेष 42 क्षेत्रीय इकाइयों को आधुनिक सुविधाओं से सुदृढीकरण करने हेतु निधियों के अभाव में मोबाइल फोरेन्सिक वैन की प्राप्ति/खरीद नहीं की गयी थी (मार्च 2017), तथापि उपर्युक्त 42 मोबाइल फोरेन्सिक वैन हेतु किटस का क्रय किया गया था, जो कि निदेशालय में निष्क्रिय पडी (मार्च 2017) थी।

- दूसरे चरण में उपर्युक्त सुविधाओं को सभी जनपदों के 500 वृत्तो में विस्तारित किया जाना था, लेकिन ऐसी कोई सुविधा मार्च 2017 तक उपलब्ध नहीं थी।

- पांच क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को क्रियाशील करने हेतु आधारभूत संरचना, भवन की सुविधा सुनिश्चित की जानी थी। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण ***परिशिष्ट 6.2*** में प्रदत्त है।

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधारभूत संरचना, निर्माण कार्य की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब हुआ एवं पांच में से चार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें क्रियान्वित नहीं की जा सकी थी। क्षे0 विधि वि0 प्रयोगशालाओं झांसी एवं गोरखपुर के निर्माण कार्य की प्रगति क्रमशः प्लिंथ एवं स्टिल्ट स्तर तक थी (अप्रैल 2017)। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं गाजियाबाद एवं इलाहाबाद के निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति क्रमशः 37 एवं 44 प्रतिशत थी (अप्रैल 2017), जबकि परिप्रेक्ष्य/भावी योजना की अवधि समाप्त हो चुकी थी।

उक्त योजना के तृतीय चरण के अनुसार अभियंत्रिकी, गणितीय, चिकित्सकीय एवं व्यावहारिक विज्ञान के अनुभाग, पुराने विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में खोले जाने थे, (पहले से ही स्थापित विधि0वि0 प्रयोगशालाओं) लेकिन ये अनुभाग किसी भी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में अवस्थापित नहीं किया जा सके थे (अप्रैल 2017), सिवाय एक मेडिको लीगल अनुभाग के, जो लखनऊ विधि0 वि0 प्रयोगशाला में चल रहा था।

उत्तर में शासन ने बताया कि (फरवरी 2017) प्रथम चरण में दस एवं द्वितीय चरण में 25 मोबाइल फोरेंसिक वैन (किट्स के साथ), जिला फोरेंसिक क्षेत्रीय इकाइयों में भेजे जा चुके है एवं शेष 40 मोबाइल वैन की खरीद/प्राप्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत है एवं 700 वृत्तों के लिए मोबाइल फोरेसिंक वैन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग परिप्रेक्ष्य/भावी योजना 2011–16 के अनुरूप विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को आधुनिक एवं सुदृढ़ीकरण करने में असफल रहा। केवल राज्य

के 47 प्रतिशत जनपद ही मोबाइल फोरेन्सिक वैन से सुसज्जित किए जा सके एवं 500 वृत्तों में से कोई भी वृत को यह सुविधा प्रदान नहीं की गयी। अतः पांच क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में से चार पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं थी। पूर्व में स्थापित विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में योजना के अनुसार नये अनुभाग भी खोले नहीं जा सके थे।

6.3 उपकरणों की खरीद/प्राप्ति

उपकरणों की खरीद हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को अवमुक्त एवं व्यय की गयी धनराशि की स्थिति नीचे सारणी में प्रदत्त है:

सारणी 6.1: विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों की खरीद हेतु आवंटन/अवमुक्त एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	अवमुक्त धनराशि	व्यय	बचत/समर्पण
1	2011–12	00.00	00.00	00.00
2	2012–13	00.00	00.00	00.00
3	2013–14	10.92	1.03	9.89
4	2014–15	17.75	4.07	13.68
5	2015–16	24.88	19.00	5.88
कुल		**53.55**	**24.10**	**29.45**[9]

(**सोतः** एफ.एस.एल. निदेशालय)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि यद्यपि परिप्रेक्ष्य/भावी योजना 2011–12 में तैयार की गयी थी लेकिन कोई भी धनराशि 2011–13 के दौरान अवमुक्त नहीं की गयी थी। धनराशि शासन/पुलिस मुख्यालय द्वारा विलम्ब से वर्ष 2013–16 के दौरान अवमुक्त की गयी थी। इसके अतिरिक्त कुल ₹ 53.55 करोड की धनराशि उपकरणों की खरीद के लिए अवमुक्त की गयी थी, जिसके विरूद्ध केवल ₹ 24.10 करोड (45 प्रतिशत) की धनराशि व्यय की गयी थी। पुनः वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 28.67 करोड के विरूद्ध केवल ₹ 5.10 करोड (17.78 प्रतिशत) की धनराशि व्यय की गयी थी। अधिकांश व्यय 2015–16 में किया गया था। शेष 55 प्रतिशत बजट खर्च नहीं किया गया था, जिसमे से ₹ 6.20 करोड की धनराशि उ0प्र0 पुलिस आवास निगम के पी0एल0ए0 में जुलाई 2016 तक पडी थी।

विभाग ने उत्तर में बताया कि (फरवरी 2017) अधिकांश उपकरण विदेशों से आयात/क्रय किए जाने है। विस्तृत एवं विलम्बित निविदा प्रक्रिया के कारण कभी कभी उपकरणो की खरीद वित्तीय वर्ष के भीतर करना मुश्किल हो जाता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि निर्धारित वर्षों में निविदा को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण धनराशि समर्पित की गयी। निविदा अधिकांश उपकरणों के लिए दो या तीन बार आमंत्रित की गयी, क्योंकि उपयुक्त/सही तकनीकी/वित्तीय निविदा प्राप्त नहीं हुयी थी।

अतः इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता था कि विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों की कमी थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभाग, प्रयोगशाला उपकरणों के लिए आवंटित बजट के 55 प्रतिशत भाग को उपभोग करने एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला को आधुनिक बनाने में विफल रहा।

[9] आँकड़ों में पी0एल0ए0 की ₹ 6.20 करोड की धनराशि सम्मिलित है।

6.4 उपकरणों का अभाव

निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अभिलेखों की जांच में उद्घाटित हुआ कि आवश्यकतानुसार, निर्धारित संख्या में उपकरण विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों में परिप्रेक्ष्य/भावी योजना के अनुरूप कर अवस्थापित नहीं किए गये थे। सोलर पावर आधारित बैक अप सिस्टम एवं टयूनेबल प्रकाश स्त्रोत क्रमशः 51 एवं 20 क्षेत्रीय इकाइयों में उपलब्ध कराये जाने थे लेकिन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सका था। आठ वाहन चेचिस आइडेन्टीफीकेशन मशीन एवं उपर्युक्त मशीनों की आधारभूत संरचना संबंधी उपकरण, सभी आठ जोन में उपलब्ध कराये जाने थे, लेकिन केवल एक मशीन ही क्रय की गयी थी। एक केन्द्रीय ताप माडयूलेटर सिस्टम भी क्रय करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अवस्थापित नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 6.3)***। इसके अतिरिक्त 11 प्रमुख उपकरण, निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण खरीदे नहीं गये थे एवं न ही चालू किए जा सके थे। धनराशियां पी0एल0ए0 में पड़ी थी, जैसा कि अनुच्छेद 6.3 में विवेचित हैं ***(परिशिष्ट 6.4)***।

- नमूने के रूप में चयनित विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि भौतिकी एवं विष विज्ञान अनुभागों में मूलभूत उपकरणों जैसे फ्यूमिंग हुड्स, हैंगिंग लोड सिस्टम एवं विद्युत भट्ठी इत्यादि का अभाव था। फ्यूमिंग हुड्स की अनुपस्थिति में धुआँ, वायु संचार द्वारा बाहर नहीं जा पा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप प्रयोगशाला में वातावरण प्रदूषित हो रहा था। विसरा परीक्षण के दौरान फास्फीन, हाइड्रोजन सायनाइड, नाइट्रोजन डाइ आक्साइड, कार्बन डाइ आक्साइड, हाइडोजन डाई सल्फाइड एवं सल्फर डाई आक्साइड इत्यादि गैसें, विष विज्ञान प्रयोगशाला में फ्यूमिंग हुड्स के अभाव में प्रवाहित हो रही थी। ये गैसे प्रयोगशाला में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक एवं हानिकारक थी।

- विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि प्रयोगशाला में केवल एक जैनेटिक एनालाइजर 3,130 (पैतृकता सुनिश्चितीकरण मशीन) उपलब्ध थी। यह एनलाइजर डी0एन0ए0 परीक्षण के अंतिम चरण में पैतृक सुनिश्चितता को निर्धारित करता हैं। चूकि प्रयोगशाला में केवल एक एनालाइजर था, जिसके परिणामस्वरूप डी0एन0ए0 एवं सीरोलाजी प्रयोगशाला में 4,113 नमूने परीक्षण हेतु लम्बित थे (मार्च 2016 तक)।

शासन ने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि वाहन चेसिस आइडेन्टीफिकेशन सिस्टम को क्रय करने हेतु विशिष्टि का विवरण शासन को प्रेषित कर दिया गया है एवं सोलर सिस्टम को क्रय करने हेतु प्रारम्भिक आगणन बनाये जाने एवं तकनीकी विशिष्टि का निर्धारण प्रक्रिया में है। आगरा, गाजियाबाद एवं वाराणसी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में, डी0एन0ए0 इकाई अवस्थापना हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है जबकि आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण के क्रय हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा।

तथापि तथ्यों के अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं क्षेत्रीय इकाइयों में उपकरणों की कमी इंगित कर रही थी कि विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण का कार्य चिंताजनक रूप से पीछे था एवं आपराधिक छानबीन के समयबद्ध तरीके से पूर्ण होने में प्रमुख रूप से बाधक था।

6.5 तकनीकी मानवशक्ति की कमी

वैज्ञानिक सहायक (वै0 सहायक), वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (वरि0वै0स0), वैज्ञानिक अधिकारी (वै0अधि0), कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (क0प्र0स0), प्रयोगशाला सहायक

(प्रयो0स0), किसी भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में तकनीकि कर्मचारी के रूप में तैनात होते है। 75 प्रतिशत वैज्ञानिक सहायकों के पद सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे जबकि 50 प्रतिशत वैज्ञानिक अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक के पद सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे।

चार विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं गाजियाबाद) के अभिलेखों की जांच में उद्घाटित हुआ कि उपर्युक्त चार क्रियाशील विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में तकनीकी कर्मचारियों की कुल कमी 47 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक 2012–13 से 2015–16 ***(परिशिष्ट 6.5)*** के मध्य पहुच गयी थी।

शासन ने उत्तर में बताया कि वैज्ञानिक अधिकारी एवं प्रयोगशाला सहायक हेतु विभाग द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयेाग को अधियाचन भेज दिया गया है। निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उत्तर में बताया गया कि रिक्तियाँ शासन द्वारा भरी जानी थी एवं यह भी स्वीकार किया गया कि मानवशक्ति की कमी फोरेन्सिक मामलों के निपटारे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही थी।

जनपदीय क्षेत्रीय फोरेन्सिक इकाई में अपर्याप्त तकनीकी कर्मचारियो की तैनाती

जनपदीय क्षेत्रीय इकाई, सभी 75 जिलो में साक्ष्यों/नमूनों को आपराधिक घटनास्थल से एकत्र कर प्रारम्भिक परीक्षण करने के उपरान्त सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को भेजने हेतु गठित की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी 75 प्रतिशत जनपदों में स्वीकृत पद के सापेक्ष केवल 31 प्रतिशत तकनीकी कर्मचारी एवं 15 नमूना जांच हेतु चयनित जनपदों में स्वीकृत पद के सापेक्ष 37 प्रतिशत तकनीकी कर्मचारी ही तैनात थे।

15 नमूना जाँच हेतु चयनित जनपदीय फोरेन्सिक इकाइयों के अभिलेखो की जांच में पुनः पाया गया कि:

- देवरिया, कुशीनगर एवं सोनभद्र जनपदों में कोई तकनीकि कर्मचारी तैनात नहीं था। सीतापुर, मथुरा एवं प्रतापगढ़ जिलों में केवल कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक ही तैनात किए गये थे।

- सोनभद्र में जनपदीय क्षेत्रीय इकाई द्वारा आपराधिक घटनास्थल से कोई नमूने अक्टूबर 2015 के बाद तकनीकि कर्मचारी की अनुपलब्धता के कारण, एकत्र नहीं किए गये थे, क्योंकि जो वैज्ञानिक सहायक वहाँ तैनात थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी एवं उनकी जगह कोई पुनः पद स्थापना नहीं हुयी थी।

6.6 परीक्षण में विलम्ब के कारण विशाल मात्रा में नमूनों का लम्बित होना

मानदण्डो के अनुसार नमूनों का परीक्षण उनकी प्राप्ति के सात दिनो के भीतर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए एवं 14 दिनो के भीतर इसका प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु तैयार कर लिया जाना चाहिए। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–15 की अवधि में अत्यधिक मामले लम्बित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लखनऊ, आगरा एवं वाराणसी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में लम्बित मामलों की संख्या जनवरी 2011 में 6,617 से बढ़कर दिसम्बर 2015 में 15,052 तक हो गयी थी ***(परिशिष्ट 6.6)***।

- विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में लम्बित नमूनों में जनवरी 2011 से दिसम्बर 2015 के मध्य 1,342 से 7,671 तक वृद्धि हुई थी। उपर्युक्त लम्बित नमूनों में से 4,113, 1,336 एवं 1,307 नमूने क्रमशः डी0एन0ए0/सीरोलाजी, जीव विज्ञान एवं आग्नेयास्त्र अनुभागों में मुख्यतः लम्बित थे (दिसम्बर 2015 तक)। अग्रेतर, प्रत्येक अनुभाग के लम्बित प्रकरणों में से 50 लम्बित प्रकरणों की नमूना जांच (दस प्रकरण प्रति अनुभाग) में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि डी.एन.ए. एवं सीरोलाजी अनुभाग में कैलेण्डर वर्ष 2011 एवं 2012 के दौरान प्राप्त किये गये नमूने भी अभी तक अनिस्तारित थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ राज्य में एक मात्र ऐसी प्रयोगशाला थी, जिसमें डी0एन0ए0 नमूनों के परीक्षण की सुविधा थी, इसके बावजूद लम्बित मामलों को न्यूनतम करने के लिए शासन द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। जीव विज्ञान अनुभाग में जुलाई 2015 तक प्राप्त किए गये नमूने अनिस्तारित पड़े थे।

- विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा में लम्बित नमूनों में, जनवरी 2011 से दिसम्बर 2015 तक 4,418 से 6,768 तक (153 प्रतिशत) वृद्धि दर्ज की गयी। ज्यादातर लम्बित नमूने मुख्यतः सीरोलाजी, विष विज्ञान एवं आग्नेयास्त्र अनुभागों में देखे गये।

शासन ने उत्तर में बताया कि यघपि ढेरों प्रयोगशालायें एवं अनुभाग विभिन्न विज्ञान प्रयोगशालाओं में इधर कई वर्षो में खोले गये थे लेकिन नयी भर्त्तियो के न होने एवं पुराने तकनीकि कर्मचारियों पर निर्भरता बढने से लम्बित नमूनों में वृद्धि हो गयी। निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि विशाल मात्रा में नमूनों के लम्बित रहने का कारण आवश्यक तकनीकी कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कमी, लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण/किट तथा सीरोलाजी एवं डी0एन0ए0 अनुभागों में रसायनों की कमी थी।

अतः तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला सुविधायें राज्य में अत्यंत अपर्याप्त थी।

6.7 जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों में मानवशक्ति, प्रयोगशालाओं एवं किट्स की कमी के कारण साक्ष्यों का असंगत एकत्रीकरण

फोरेंसिक साक्ष्यों के एकत्रीकरण हेतु विशेषज्ञ मानवशक्ति, जिसके पास फोरेंसिक विज्ञान का विशेष ज्ञान हो, की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों को दक्ष प्रशिक्षित स्टॉफ का समर्थन अवश्य होना चाहिए। उनको विशेष किट्स के साथ सुसज्जित/तैयार रहना चाहिए, जिससे नमूनों को सही तरह से संग्रहीत किया जा सके एवं सम्बन्धित पुलिस स्टेशन को प्राथमिक परीक्षण के बाद सौंपा जा सके जिससे निकटतम विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अन्तिम परीक्षण के लिए भेज दिया जाय।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय एवं जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पर्याप्त विशेषज्ञ/दक्ष मानवशक्ति, जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों में उपलब्ध नहीं थे:

- आपराधिक घटनास्थल से अपराध की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्रित किए जाते है। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रत्येक प्रकार के दो या तीन नमूने (जहां तक सम्भव हो) की जगह एक ही नमूना एकत्र किया जा रहा था। ये सूचीबद्ध नमूने स्वतंत्र रूप से विभिन्न प्रयोगशालाओं में स्वतंत्र रूप से परीक्षित नहीं किए जा रहे थे।

- वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक सहायक, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, फोरेंसिक क्षेत्र में विशेषज्ञ कहे जाते है। 75 क्षेत्रीय इकाइयों में केवल 18 प्रतिशत विशेषज्ञ तैनात थे (120 स्वीकृत पद के विरूद्ध 22)। 15 नमूना चयनित जनपदों में केवल 32 प्रतिशत विशेषज्ञ तैनात थे (28 स्वीकृत पदों के विरूद्ध नौ)। सीतापुर, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र जनपदों में जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयो में कोई विशेषज्ञ तैनात नहीं था। नमूना जांच में चयनित क्षेत्रीय इकाइयों में, केवल आवश्यक किट्स ही उपलब्ध थे लेकिन मोबाइल फोरेंसिक वैन, कुल किट्स के साथ केवल 33 जनपदों[10] में उपलब्ध थे।

- भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों में एक प्रयोगशाला थी, जो प्राप्त नमूनो को पुलिस स्टेशन एवं विस्तृत जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने के पूर्व प्रारम्भिक रूप से छानबीन/जांच करती थी। सोनभद्र में नमूनों के प्रारम्भिक रूप से छानबीन जांच करने हेतु कोई प्रयोगशाला नहीं थी, जो प्रतिवेदन रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस स्टेशन को सुपुर्द करने के पूर्व जांच कर सके। आपराधिक घटनास्थल से संग्रहीत किए गये नमूनो के विवरण दर्ज करने हेतु केवल एक पंजिका मौजूद थी, लेकिन पुलिस स्टेशन को सुपुर्द किए गये नमूनो के संबध में कोई विस्तृत अभिलेख मौजूद नहीं था। इसके अतिरिक्त जनपदीय क्षेत्रीय फोरेन्सिक इकाई स्तर पर कोई फोरेन्सिक डाटा डिजीटाइज्ड (कम्प्युटरीकृत) नहीं था।

शासन ने उत्तर में बताया कि (फरवरी 2017) सभी जनपदों में वैज्ञानिकों की तैनाती, अपराध स्थल निरीक्षण एवं साक्ष्यों का संग्रहण किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्याप्त तकनीकी स्टॉफ/कर्मचारी जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों में तैनात नहीं थे। नये/छोटे जनपदों में कोई वैज्ञानिक तैनात नहीं थे एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक वहाँ पर विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे थे। बहुत जनपदों में कोई मोबाइल वैन, किट्स के साथ प्रदान नहीं की गयी थी। अतः जनपदीय क्षेत्रीय इकाइयों में विशेषज्ञों की कमी एवं अपर्याप्त संरचना (मोबाइल फोरेंसिक वैन, किट्स, प्रा0 प्रयोगशाला) साक्ष्यों के संग्रहण की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डाल रहा था।

6.8 साइबर अपराध क्षेत्रीय प्रयोगशाला का पूर्णतः अवस्थापित न हो पाना

साइबर अपराध से संबंधित मामलों के परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा में एक अलग अनुभाग स्थापित किया जाना था। महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ (जून 2015 तक) द्वारा आवश्यक उपकरण एवं अन्य यंत्रो को उपलब्ध कराया गया था एवं प्रयोगशाला, उप निदेशक, भौतिकी अनुभाग के अंतर्गत प्रशिक्षित/अस्थायी स्टॉफ/कर्मचारियों द्वारा चलायी जा रही थी (अप्रैल 2017 तक)। उपर्युक्त प्रयोगशाला हेतु कोई पद स्वीकृत नहीं थे ***(परिशिष्ट 6.7)***।

शासन ने उत्तर में बताया (फरवरी 2017) कि साइबर अपराध प्रयोगशाला वर्तमान में विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा के अन्तर्गत क्रियाशील है, उपकरण एवं वैज्ञानिक उक्त कार्य हेतु तैनात कर दिए गये है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उक्त कार्य हेतु कोई पद अब तक स्वीकृत नहीं किए गये थे (अप्रैल 2017) एवं उपर्युक्त प्रयोगशाला पूरी तरह से अवस्थापित नहीं थी।

[10] आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी, फैजाबाद, झाँसी, हाथरस, बस्ती, गोण्डा, आजमगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, बांदा, गौतमबुद्धनगर, सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, चन्दौली, मथुरा, इटावा, कन्नौज, गाजीपुर, रामपुर, फतेहपुर, बहराइच, बदायूँ, जौनपुर तथा विशेष क्षेत्रीय इकाई, लखनऊ।

6.9 अनुसंधान समर्थन इकाइयों को उपलब्ध न कराया जाना

क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किट

अपराध जांच पुलिस का एक महत्वपूर्ण कार्य है एवं ज्येष्ठ आरक्षी से निरीक्षक तक के पदक्रम वाले कर्मचारी को अपराध अनुसंधान का यह कार्य सौपा गया है। उनके पास फोरेंसिक विज्ञान का विशेष ज्ञान नहीं होता है, इसलिए जांच, विशेषज्ञता के अभाव में प्रभावित होता है। आपराधिक घटनास्थल एवं जांच से फोरेन्सिक साक्ष्यों को एकत्र करने में विशेषज्ञ के रूप में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय पुलिस मिशन ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर एक क्राइम सीन अधिकारी को क्राइम इन्वेस्टीगेशन किट[11] के साथ तैनात करने के संस्तुति की थी (जुलाई 2013)।

तथापि, राज्य स्तर पर उक्त संस्तुति को क्रियान्वित करने एवं साक्ष्यों को संग्रहीत करने की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कोई भावी योजना तैयार नहीं की गयी थी। पुलिस स्टेशन स्तर पर कोई किट्स/औजार नमूना जांच के रूप में चयनित जनपदों में नहीं थे एवं इस के संबंध में पुलिस स्टाफ/कर्मचारियों को कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर में बताया कि पुलिस स्टॉफ/कर्मचारियों के कार्य में गुणवत्तापूर्वक सुधार हेतु उन्हें फोरेन्सिक वैज्ञानिकों द्वारा नमूनों के संग्रहण एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भेजे जाने हेतु नमूनो के संबंध में उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

अतः शासन ने लेखापरीक्षा द्वारा की गयी टिप्पणी को स्वीकार किया।

6.10 अभिलेखों का रख–रखाव न किया जाना

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि अनुभागो में कन्ज्यूमएबल स्टाक पंजिका, डेड स्टाक पंजिका तथा उपकरण स्टाक पंजिका का रख रखाव नहीं किया जा रहा था; इसलिए प्रयोगशाला के अनुभागो द्वारा उपयोग किये गये रसायनो तथा अन्य कन्ज्यूमएबल के वास्तविक खपत को ज्ञात किया जाना कठिन था। विधि विज्ञान प्रयोग शाला, मुरादाबाद में ₹ 83.93 लाख मूल्य के उपकरण क्रय किये गये थे परन्तु कोई उपकरण स्टाक पंजिका नहीं बनायी गयी थी। अतः लेखापरीक्षा में रसायनों व विभिन्न कन्ज्यूमएबल के समुचित उपयोग एवं उनके दुरूपयोग यदि कोई हो, को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

संस्तुतियाँ:

- *शेष 42 जिला क्षेत्रीय इकाई व 500 वृत्तों को आधुनिक सुविधा से युक्त चलित फोरेन्सिक वाहन, प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए।*
- *पॉच चलित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के भवन निर्माण एवं अन्य अवस्थापना के कार्यों में तेजी लाया जाना चाहिए।*
- *इन प्रयोगशाला में बढ़ते हुए लम्बित प्रकरणों/मामलों में नियन्त्रण तथा अपराध अन्वेषण में तेजी लाने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में तकनीकि स्टॉफ व उपकरणों की भारी कमी को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए।*

[11] आइटम इसमें सम्पादित है जैसेः क्राइम सीन प्रीजर्वेशन टूल्स, क्ल्यू हैंडलिंग टूल्स, क्ल्यू एनालिसिस टूल्स, स्प्रे मेकिंग पेण्ट, डिजीटल डिस्टेण्ट मेजरिंग डिवाइस, रैटचेट स्क्रू ड्राइवर, वर्नियर कैलीपर्स इत्यादि उपकरण नमूनों के संग्रहीत करने एवं स्पॉट विश्लेषण करने हेतु उपलब्ध कराये जाने थे।